न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 80/21 | तारीख दायरा 13/09/2021 | तारीख फैसला 22/4/2022

पीठासीन अधिकारी– श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1– गौरीशंकर पुत्र ब्रदीलाल
2– धनराज पुत्र ब्रदीलाल
3– राधेश्याम पुत्र ब्रदीलाल
4– कमली पुत्री ब्रदीलाल
5– गीता पुत्री ब्रदीलाल
6– चाहन्या पत्नि ब्रदीलाल
7– छोटी बाई पुत्री ब्रदीलाल जातियान मीणा निवासी नलावता तहसील पीपल्दा। – **वादीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा राज. – **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा–88,89,188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद जर्ये वकील प्रस्तुत कंर निवेदन किया कि वादीगण कि पिता ब्रदीलाल पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी नलावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को सन् 1961 में वाके ग्राम माल नलावता तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0 की साबिक ख.न. 476 मि. रकबा 10 बीघा कृषि आराजी मिसल नं0 438 दिनांक 25.05.1961 को किमत 250 रूपये में आवंटन की जाकर आंवटित भूमि पर वादीगण के पिता आंवटी बद्रीलाल को आवंटन शुद्घा भूमि पर दखल देकर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन दिनांक से ही वादीगण के पिता ब्रदीलाल पुत्र गणपत उक्त वर्णित आराजी पर काबिज कास्त चले आ रहे है। मुताबिक जमाबंदी ग्राम नलावता संवत 2033 से 36 में वादीगण के पिता साबिक खसरा न. 476 रकबा 10 बीघा राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदार बद्रीलाल पुत्र गणपत जाति मीना निवासी नलावता दर्ज है।

यह कि कालान्तर में वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपत मीना की आवंटन शुदा वर्णित आराजी गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 10 बीघा की सम्पुर्ण आंवटन राशि राजकोष में जमा होने पर राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य शर्ते) शर्ते 1955 की शर्त 9 के अधीन खातेदारी अधिकार सनद पट्टा दिनांक 28.01.1981 को वादीगण के पिता के गैर खातेदार वाली कृषि आराजी साबिक खसरा नम्बर 476 रकबा 10 बीघा पर खातेदारी अधिकार दिया गया। उक्त खातेदारी सनद पट्टा दिनांक 28.01.1981 का बद्रीलाल पुत्र गणपत के गैर खाते वाली वर्णित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किये जाने के कारण वादीगण के खाते की वर्णित आराजी गैर खातेदार दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों व प्रतिवादी द्वारा खातेदारी पट्टा दिनांक 28.01.1981 का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्णित आराजी आज तक गैर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है।

यह कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भू–सुधार कार्यक्रम के दौरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपतलाल की आंवटित व गैर खातेदारी की वर्णित कृषि आराजी साबिक खसरा नम्बर 476 रकबा 10 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 व खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 है0 बनाया गया । सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के पिता बद्रीलाल के गेरखातेदारी वाली कृषि आराजी साबिक ख.न. 476 रकबा 10 बीधा के नवीन ख. सं. 126 रकबा 1.25 है0 ही दर्ज किया गया जिसमें 0.35 हैक्टर कमी रकबा दर्ज करते हुए खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 है. सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र से परे जाकर बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण के पिता बद्रीलाल के गैर खाते वाली कृषि आराजी 10 बीघा में से 0.35 है0 की कटौती करने का अधिकार नहीं है। जबकी वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना अधिकारीता के अपने पिता ब्रदीलाल पुत्र गणपत मीना के खाते के भूमि में कमी रकबा की पूर्ति लगवा समीपस्थ खसरा न0 127 रकबा 0.71 सिवायचक खाता सरकार में से करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि वादीगण के पिता के खाते वाली कृषि आराजी वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपत मीना के फौत हो जाने के बाद खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 कृषि आराजी वादीगण के गैर खाते में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है। वादीगण द्वारा अपने खाते दर्ज भूमि पर बैंक में ऋण लेने के लिए गये तो शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण देने से मना कर दिया और भूमि का रकबा मात्र 1.25 है0 बताया जाने पर वादीगण को जानकारी हुई। उनके पिता के खातेवाली आंवटित भूमि पर आज तक खातेदारी पट्टा जारी होने पर भी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं की गई है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.35 है0 भूमि का कमी रकबा दर्ज किया गया है।

यह कि वादीगण द्वारा कमी रकबा 0.35 हैक्टर की पुर्ति व खातेदारी दर्ज करने के लिए प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा से कई बार निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का कार्य नहीं होने की बात कह कर मना कर दिया। और माननीय न्यायालय वाद दायर करने की हिदायत देते हुए कमी रकबा की पूर्ति करने व खातेदार दर्ज करने से दिनांक 01.09.2021 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा साफ मना करने पर वाद कारण दिनांक 01.09.2021 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

यह कि वाद पत्र में लेण्ड होल्डर तहसीलदार पीपल्दा को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गाया है जिसके खिलाफ वाद पत्र में अनुतोष मांगा गया है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पिता के खाते की भूमि में से 0.35 हैक्टर सिवायचक कृषि आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से वाद अर्जेन्ट प्रकृति का हो गया है। समयाभाव के कारण धारा 80 सी.पी.सी के तहत प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना संभव नहीं होने से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत वाद परमिशन हेतु प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र सलंग्न वाद पत्र है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे कि वादीगण के गैर खाते की कृषि आराजी वाके माल ग्राम नलावता की खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 में कमी रकबा 0.35 है0 की पूर्ति समीपस्थ लगवा खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 हैक्टर में से की जाकर वादीगण के खाते 1.60 हैक्टर कृषि आराजी दर्ज की जावे। व वादीगण के खाते की कृषि आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 1.60 है0 वादीगण के खाते दर्ज करते हुए गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।

वांद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सरकार तहसीलदार पीपल्दा की तलबी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

मुताबिक जमाबन्दी ग्राम नलावता संवत 2033–36 वादीगण के पिता बद्रीलाल व गणपत कोम मीना सा.देह के नाम ग्राम नलावता की सांबिक ख0स0 476 की 10 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

1. मुताबिक खातेदारी सनद् सं0 2149 दिनांक 28/01/78 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, कोटा द्वारा वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपत मीना सा0 नलावता को ग्राम नलावता की भूमि ख0सं0 476 रकबा 10 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।
2. मुताबिक बन्दोबस्त जमाबन्दी ग्राम नलावता सं0 2041–60 वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपत जाति मीना सा0 देह के नाम नवीन ख0स0 476 से हाल 126 की 1.25 है0 एवं ख0सं0 127 रकबा 0.71 है0 बने है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ख0सं0 126 रकबा 1.25 है0 भूमि वादीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख0सं0 127 रकबा 0.71 है किस्म बारानी तृतीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार गत रकबे के मुकाबले वादीगण की गैर खातेदारी में 0.35 है0 रकबा कम दर्ज हुआ है।
3. मौका स्थिति देखी गई। वर्तमान में वादीगण ख0सं0 126 की रकबा 1.25 एवं ख0सं0 127 पूर्व दिशा की 0.35 है0 कुल 1.60 है0 भूमि पर काबिज काश्त है।
4. वादीगण द्वारा ख0सं0 126 रकबा 1.25 है0 के स्थान पर गत रकबे के मुकाबले हुए कमी रकबे 0.35 है0 की कमी पूर्ति ख0सं0 127 सिवायचक से की जाकर कुल रकबे 1.60 भूमि खातेदारी में दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।
5. माननीय न्यायालय से संबधित है।
6. माननीय न्यायालय से संबधित है।
7. माननीय न्यायालय से संबधित है।
8. माननीय न्यायालय से संबधित है।

अतः उक्त उनवानी प्रकरण में बिन्दुवार जवाब सरकार श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

जवाब सरकार प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 23.3.2022 को वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वकील वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी में पीडब्लयू–1 गौरीशंकर व पीडब्लयू–2 धनराज व पीडब्लयू–3 नाथूलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही करना अवगत करवाया गया। पत्रावली में साक्ष्यवादी बंद की गई। वकील वादी द्वारा अवगत करवाया कि पत्रावली में जवाब सरकार पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः पत्रावली दिनांक 29.3.2022 को वास्ते बहस हेतु नियत की जावे।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे कि वादीगण के गैर खाते की कृषि आराजी वाके माल ग्राम नलावता की खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 में कमी रकबा 0.35 है0 की पूर्ति समीपस्थ लगवा खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 हैक्टर में से की जाकर वादीगण के खाते 1.60 हैक्टर कृषि आराजी दर्ज की जावे। व वादीगण के खाते की कृषि आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 1.60 है0 वादीगण के खाते दर्ज करते हुए गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड/दस्तावेजात एव जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि मुताबिक बन्दोबस्त जमाबन्दी ग्राम नलावता सं0 2041–60 वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र गणपत जाति मीना सा0 देह के नाम नवीन ख0स0 476 से हाल 126 की 1.25 है0 एवं ख0सं0 127 रकबा 0.71 है0 बने है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ख0सं0 126 रकबा 1.25

भूमि वादीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख0सं0 127 रकबा 0.71 है किस्म बारानी तृतीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार गत रकबे के मुकाबले वादीगण की गैर खातेदारी में 0.35 है0 रकबा कम दर्ज हुआ है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान में वादीगण ख0सं0 126 की रकबा 1.25 एवं ख0सं0 127 पूर्व दिशा की 0.35 है0 कुल 1.60 है0 भूमि पर काबिज काश्त है।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर माल ग्राम नलावता की खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 में कमी रकबा 0.35 है0 की पूर्ति समीपस्थ लगवा खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 हैक्टर में से की जाकर वादीगण के खाते 1.60 हैक्टर कृषि आराजी दर्ज की जावे। वादीगण को गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/4/2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक ... मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन **अधिकारी– श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस)**

उनवान

1– गौरीशंकर पुत्र ब्रदीलाल
2– धनराज पुत्र ब्रदीलाल
3– राधेश्याम पुत्र ब्रदीलाल
4– कमली पुत्री ब्रदीलाल
5– गीता पुत्री ब्रदीलाल
6– चाहन्या पत्नि ब्रदीलाल
7– छोटी बाई पुत्री ब्रदीलाल जातियान मीणा निवासी नलावता तहसील पीपल्दा।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा राज.

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा–88,89,188 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं0 80/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माल ग्राम नलावता की खसरा नम्बर 126 रकबा 1.25 है0 में कमी रकबा 0.35 है0 की पूर्ति समीपस्थ लगवा खसरा नम्बर 127 रकबा 0.71 हैक्टर में से की जाकर वादीगण के खाते 1.60 हैक्टर कृषि आराजी दर्ज की जावे। वादीगण को गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

निणर्य मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 22/4/2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा।